न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0न0 37/अपील/22

तारीख दायरा: 16.11.2022

बनवारी लाल पुत्री पूरीलाल जाति कुम्हार निवासी सेमला
तहसील सुनेल जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

01. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सुनेल
02. मेनेजर रिलायंस जियो इंफोकोम (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड़ प्रकरण संख्या 97/23 दिनांक: 12.10.2022

उपस्थितः– श्री कालूसिंह सिसोदिया, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रिलायंस जियो इंफोकोम
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांक: 5/03/24

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुनेल के आदेश दिनांक 12.10.2022 जो मिसल न0 97/2022 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम सेमला तहसील सुनेल की आराजी ख0न0 895 रकबा 0.1770 है0 किस्म का0का0 में से 0.0126 है0 पर मोबाईल टावर लगाने का अतिक्रमी मानकर 33/–रू0 शास्ती तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने एवं पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अतिक्रमी गलत माना गया है। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण नही किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। न्यायालय द्वारा मोबाईल टावर कंपनी रिलायंस जियों को भी अतिक्रमी मानते हुए मेनेजर रिलायस जियो इंफोकोम को भी तलब किया गया जिनकी ओर से वकील श्री तवंर सिंह झाला का वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मीमों की पुष्टि करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी

जिला कलक्टर
झालावाड़

अनुपस्थिति में उसके खिलाफ एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा मौके पर स्थित उक्त प्रश्नगत आराजी पर कभी भी अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक रिलायंस जियो इंफोकोम ने अपने जवाब व दौराने बहस व्यक्त किया किया कंपनी ने अपीलांट के पिता पूरीलाल के साथ टावर लगाने बाबत लिखित एग्रीमेंट करवा रखा है और नियत शर्तों के अनरूप किराया अदा कर रहा है इस वजह से वह वर्तमान और भविष्य के किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इस पर पेराकार सरकार ने व्यक्त किया कि कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार तहसील सुनेल में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट ने वर्तमान मे प्रश्नगत आराजी से कब्जा नहीं छोड़ मोबाईल टावर बाबत एग्रीमेंट कर रखा है जो विधि अनुरूप सहीं नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को राहत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अपितु प्रश्नगत राजकीय आराजी पर मोबाईल टावर स्थित होने की दशा में अतिक्रमी मोबाईल टावर कंपनी पर भी विधि की सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक रिलायंस जियो इंफोकोम द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर दिनांक 22.01.2022 को तहसीलदार सुनेल, विकास अधिकारी पंचायत समिती पिड़ावा मु0 सुनेल व थानाधिकारी सुनेल की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया गया था परन्तु अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है जो कि पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आने पर ही तहसीलदार सुनेल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से किसी भी तरह की राहत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व बेदखली आदेश को यथावत रखा जाता है साथ ही तहसीलदार तहसील सुनेल को आदेशित किया जाता है कि खसरा नं0 895 रकबा 0.1770 है पर मोबाईल टावर कंपनी तथा अन्य व्यक्तिगत अतिक्रमियों द्वारा किये गए अतिक्रमण को कानून एवं विधि की सुस्थापित प्रकिया तथा नियमानुसार हटवाये जाने बाबत कार्यवाही अमल में लायें तथा की गई कार्यवाही से न्यायालय हाजा को अंदर 30 योम अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुनेल को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांकः 05/03/2024 को मेरें द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/03

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर,
झालावाड़